

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 27 अक्टूबर, 2017

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में "दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" के अन्तर्गत अवशेष केन्द्रांश एवं राज्यांश धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, सूडा के पत्र संख्या-1196/डे0-एन0यू0 एल0 एम0/15-16/सूडा/2016-17, दिनांक 15.07.2017 तथा शासन के पत्र संख्या-965/IV-3/2017-27(सा0)/2003, दिनांक 22.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" के अन्तर्गत अवशेष केन्द्रांश की धनराशि रू0 84,96,750/- तथा राज्यांश की धनराशि रू0 37,76,300/- अर्थात् कुल धनराशि रू0 1,22,73,050/- (रू0 एक करोड़ बाईस लाख तिहत्तर हजार पचास मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) योजना का क्रियान्वयन नगर निकायों द्वारा शहरी विकास निदेशालय के सतत अनुश्रवण में किया जायेगा।
- (ii) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा, जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा एवं मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।
- (iii) स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी Guideline/Toolkit एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) उक्त अनुदान का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रयोजन के लिए निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्रांश तथा उस पर अनुमन्य अनुपातिक राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।
- (v) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
- (vi) उक्त धनराशि शहरी विकास विभाग की अनुदान संख्या-13 सामान्य बजट तथा अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजाति उप योजना से स्वीकृत की जा रही है। अनुदान संख्या-30 (scsp) में बजट प्राविधान न होने के कारण भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना मद में अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि रू0 84,96,750/- अनुदान संख्या-13 से अवमुक्त की जा रही है। अतः वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों का विवरण पृथक-पृथक अंकित करते हुये नोडल एजेंसी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) इस संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 05.08.2016 में उल्लेखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) धनराशि का यथाशीघ्र पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0105-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-42-अन्य व्यय" मद के नामे धनराशि रू0 1,20,96,750/- तथा अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0108-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-42-अन्य व्यय" मद के नामे धनराशि रू0 1,76,300/- डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-302/XXVII(2)/2017 दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

5- एलॉटमेंट आई0डी0 संख्या 517/831/95 दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के द्वारा उक्त धनराशि ऑनलाइन रूप से अवमुक्त की गई है।

संलग्न-एलोटमेंट आई0डी0

भवदीय,

(साधिका झा)
सचिव।

संख्या-1961/IV-3/2017-45(सा0)/2015, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी0-1/105, इन्दरा नगर, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, शहरी विकास अभिकरण (सूडा) देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर देहरादून।
12. शहरी विकास अनुभाग-2
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव।